

सुशासन और डिजिटल इण्डिया

शोधार्थी का नाम :- मुकेश महरिया
सुनिता चौधरी
(महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर)

आजकल सर्वत्र एक नई अवधारणा गुजायमान हो रही है और वह है- 'डिजिटल इंडिया'। एक सहभागितापूर्ण, समावेशी, उत्तरदायी एवं पारदर्शी सुशासन सरकार के निर्माण के लिए डिजिटल इंडिया एक क्रांतिकारी कार्यक्रम है जिसके तहत नागरिकों को डिजिटल तौर पर सशक्त बनाकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को सुदृढ़ लोकतंत्र में बदलना है।

भारत का संचार नेटवर्क एशिया के विशालतम संचार नेटवर्कों में से एक है। उसी का परिणाम है डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम। प्रत्येक कार्यक्रम शुरू करने का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का भी उद्देश्य है- सूचना प्रौद्योगिकी की ताकत का लाभ उठाकर शासन एवं सार्वजनिक सेवाओं की वर्तमान परिस्थितियों में बदलाव लाना। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को शुरू करने के पीछे एक उद्देश्य रहा है जो है भारत को डिजिटल तौर पर सशक्त समाज और नोबेल इकोनॉमी में बदलना। चूंकि भारत उभरती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है इसलिए देश के लिए यह जरूरी हो जाता है कि यहाँ व्यापक सहभागिता वाला लोकतंत्र विकसित हो अर्थात् एक ऐसी व्यवस्था जहाँ प्रत्येक नागरिक चाहे वह गरीब हो या अमीर सामाजिक मतभेदों से इतर सार्वजनिक सूचनाओं को प्राप्त कर सके। वह सरकारी नीतियों पर बहस में हिस्सा ले सके और राष्ट्र के नीति निर्धारण में उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो। अब शासन एक तरफा प्रक्रिया नहीं रही बल्कि यह अधिक समावेशी विचार-विमर्श और सह-सृजन की प्रक्रिया बन गया है। भारत जैसे विशाल आबादी वाले राष्ट्र के लिए सामाजिक-आर्थिक सूचकांक को बेहतर करने के लिए यह बदलाव जरूरी है।

बदलती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था को देखते हुए हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्यों न आईटी को ही विकास का प्रमुख जरिया बना लिया जाए और इस क्रम में शासन में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें डिजिटल तौर पर जोड़ा जाये। और इस संदर्भ में भारत की मौजूदा सरकार नागरिकों को डिजिटल तौर पर सहज बनाने तथा पारदर्शी स्मार्ट गवर्नेंस से जुड़ी जानकारीयों तक उनकी पहुँच उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। और यह प्रयास सुशासन की ओर इंगित करता है। नेस्कॉम के अध्यक्ष स्व. देवांग मेहता के अनुसार - स्मार्ट गवर्नेंस से तात्पर्य 'डिजिटल' अर्थात् एस से सिम्पल, एम से मॉडल, ए से एकाउन्टेबल, आर से रिस्पॉन्सिबल तथा टी से ट्रान्सपैरेंट से है। तात्पर्य यह है कि सूचना तकनीक के प्रयोग से परम्परागत सरकार को सुशासन वाली जिम्मेदार और पारदर्शी सरकार का रूप देना है ताकि सरकार और नागरिकों के मध्य दूरी को मिटाया जा सके।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत तीन प्रमुख परिकल्पनाओं को आधार बनाया गया है -

- (1) प्रमुख उपादेयता के तौर पर प्रत्येक नागरिक को डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना।
- (2) मांग आधारित गवर्नेंस एवं सेवाएँ उपलब्ध कराना तथा
- (3) नागरिकों का डिजिटली सशक्तीकरण करना।

पहली परिकल्पना के लिए जरूरी है देश का बेहतर तरीके जुड़ा होना ताकि बेहतर सेवाएँ नागरिकों को उपलब्ध हो सकें। सरकार का लक्ष्य सुदूर इलाकों के निवासियों को भी ब्राडबैंड एवं हाईस्पीड इंटरनेट सेवाओं से जोड़ना है ताकि प्रत्येक नागरिक तक ई-गवर्नेंस सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित हो सके जिससे उन्हें सामाजिक लाभ मिलेगा और वित्तीय समावेशन का काम भी पूरा हो सकेगा।

दूसरी परिकल्पना अर्थात् मांग आधारित शासन एवं सेवाएँ उपलब्ध कराने का उद्देश्य शासन की प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी लाना है यद्यपि लगभग प्रत्येक राज्य की सरकारों ने ई-गवर्नेंस की पहल शुरू कर रखी है लेकिन सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों में नागरिकों की भागीदारी अब भी द्विवाचन है।

तीसरी परिकल्पना नागरिकों को डिजिटली सशक्तीकरण करने से है। डिजिटल कनेक्टिविटी सभी नागरिकों को एक समान अवसर प्रदान करती है। भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्तर से इतर भारतवासी आज डिजिटली सहज है और इसका श्रेय इंटरनेट और मोबाइल फोन के विकास को जाता है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का लक्ष्य डिजिटल साक्षरता पर ध्यान देकर, इससे जुड़े संसाधन विकसित कर भारत को डिजिटल तौर पर सशक्त समाज के रूप में बदलना है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के प्रमुख आधार स्तम्भ -

किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत के लिए उसका आधार मजबूत होना बेहद जरूरी है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाने में भारत सरकार ने नौ आधार स्तम्भों को परिभाषित किया है -

ब्राडबैंड हाइवे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का पहला आधार स्तम्भ है। जिसके तहत देश की ढाई लाख ग्राम पंचायतों को नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) से जोड़ना है। जिससे ग्रामीण आबादी की पहुँच सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं तक आसानी से हो सके। इसके तहत भारत सरकार ने 1000 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी से ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) की स्थापना की है। बीबीएनएल को 641 जिलों और 6600 प्रखण्डों में फैली करीब ढाई लाख ग्राम पंचायतों को जोड़कर नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क तैयार करना है ताकि इन पंचायतों के लोग लाभान्वित हो सकें।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का दूसरा आधार है- मोबाइल कनेक्टिविटी की उपलब्धता। जिसके तहत देश के उन क्षेत्रों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुँचाना है जहाँ इसका अभाव है। आज भारत के लगभग 42 हजार गाँवों में मोबाइल कनेक्टिविटी का अभाव है। इसे दूरस्त करने के लिए दूरसंचार विभाग नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। 2014 से 2018 तक इस परियोजना पर 16000 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। मतलब 2018 तक भारत में मोबाइल कवरेज पूरा लिया जाएगा।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का तीसरा आधार स्तम्भ है पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम। जिसके तहत सरकार की योजना ढाई लाख कॉमन सर्विस सेंटर(ब) खोलने की है, अर्थात् प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक बेंच खोला जाएगा। जो केन्द्र सरकारी एवं कारोबारी सेवाओं की डिलीवरी के लिए अंतिम बिन्दु होंगे।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का चौथा आधार स्तम्भ है- ई-गवर्नेंस, अर्थात् प्रौद्योगिकी के जरिये शासन में सुधार लाना जो आईटी के जरिये सरकारी प्रक्रियाओं को आसान बनाने में सरकार को सक्षम बनाता है, ताकि विभिन्न विभागों में सरकारी सेवाओं की पहुँच आसान और प्रभावी बने।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का पाचवाँ आधार स्तम्भ है- ई-क्रान्ति अर्थात् सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी। देश के नागरिकों के लिए ई-गवर्नेंस और एम-गवर्नेंस को सुशासन में बदलना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसी को ध्यान में रखते हुए ई-क्रान्ति का उद्देश्य शासन के तौर तरीकों में बदलाव के लिए ई-गवर्नेंस लाना है। आज ई-क्रान्ति के माध्यम से 3325 ई सेवाएँ चलाई जा रही हैं जो इसकी अपार सफलता का परिचायक हैं।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का छठा आधार स्तम्भ सभी को सूचना पहुँचाना है। जिससे शासन में पारदर्शिता लायी जा सके। ओपन डाटा प्लेटफॉर्म के जरिये मंत्रालय विभाग सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए पूर्ण सक्रियता के साथ सूचनाएँ जारी करते हैं। सूचनाओं के ऑनलाइन होस्टिंग से वे मुक्त रूप से और सुगमता से प्राप्त हो जाती हैं।

इस कार्यक्रम का सातवाँ और सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ है- इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार ने देश के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के विकास के लिए पिछले दो वर्ष में करीब 1.28 लाख करोड़ रुपये के 50 से अधिक निवेश प्रस्ताव पास किये हैं।

डिजिटल इंडिया का आठवाँ आधार स्तम्भ है- नौकरियों के लिए आईटी। जिसके तहत आईटी - आईटीईएस क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए छोटे शहरों और गाँवों में युवाओं को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है। सरकार ने अगले पाँच वर्ष में आईटी सेक्टर में नौकरियों के लिए छोटे शहरों और गाँवों के एक करोड़ विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही सरकार का लक्ष्य कौशल विकास कार्यक्रम के तहत तीन लाख सर्विस डिलीवरी एजेंट प्रशिक्षित करने का भी है ताकि वे आईटी सेवाएँ देने वाले कारोबार चला सकें।

अंत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का नौवाँ आधार स्तम्भ है-अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। जिसके तहत ऐसी परियोजनाएँ हैं जिन्हें कम समय में क्रियान्वित किया जा सकता है जिनमें आईटी प्लेटफॉर्म, सभी विश्वविद्यालयों में वाई-फाई सुविधा, सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट और एस एम एस आधारित मौसम की जानकारी आदि शामिल हैं।

सुशासन के लिए डिजिटल इंडिया पहल-

वास्तव में सुशासन सरकार के तीन लक्षण हैं—पारदर्शी, जवाबदेही एवं उत्तरदायी सरकार। ये तीनों ही लोकतांत्रिक सरकार के मूलाधार हैं। सरकार मुख्यतः जनता के लिए कार्य करती है तथा उन्हें सामाजिक, आर्थिक एवं सामान्य सेवाएं प्रदान करती है। ये सेवाएं नागरिक केन्द्रित होने के कारण बहुतायत में प्रदान की जाती हैं। प्रत्येक नागरिक सरकार से यह अपेक्षा रखता है कि उसे वांछित सेवा शीघ्र एवं बिना किसी अवरोध के समय पर मिल सके। विकास के लक्ष्य की ओर बढ़ रही सरकार का भी यह प्रयास रहता है कि वह अपने नागरिकों को बेहतर सेवाएं समय पर व कुशलतापूर्वक प्रदान कर सुशासन के सिद्धान्त को साकार कर सके। सुशासन में भागीदारी, आमसहमति, जवाबदेह, पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावी तथा सक्षम, न्याय संगत तथा समावेशी एवं कानून के शासन जैसी संकल्पनाओं का विश्लेषण किया जाता है जो डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम से ही संभव है। पारदर्शिता और नागरिकों को सक्षम बनाने से ही सुशासन संभव है। सम्पूर्ण राष्ट्र में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को परिवर्तनकारी कार्यक्रम बनाने तथा सुशासन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार की पहल शुरू करने की बहुआयामी रणनीति तैयार की है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं जैसे— डिजिथल अभियान, आधार पे, भीम, सीएससी, डिजीलॉकर, दिशा, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) और ई—पंचायत। कालेधन के खिलाफ संघर्ष के तहत नोटबंदी के फैसले और नकदी लेनदेन को कम करने के उद्देश्य से डिजिटल अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत नागरिक और व्यापारी बिना किसी परेशानी के मौके पर डिजिटल लेनदेन कर सकते हैं। डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार यह चाहती है कि देश के नागरिक विभिन्न प्रकार के ऐप डाउनलोड करें, इंस्टाल करें तथा विभिन्न प्रकार के पेमेंट प्लेटफार्म का इस्तेमाल करें। इसी क्रम में सरकार ने भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम) जैसा डिजिटल पेमेंट प्लेटफार्म शुरू किया है। केवल दो माह में ही भीम एप को एक करोड़ 70 लाख बार डाउनलोड किया गया और फरवरी के अंत तक 19 लाख 37 हजार बार इस ऐप से लेन-देन किया गया जो इसकी गुणवत्ता का परिचायक है।

भारत सरकार ने वित्तीय समावेशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, वित्तीय बजट के प्रबन्धन तथा शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने एवं सुविधाएं बढ़ाने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली पर आधारित दुनिया के सबसे बड़े पहचान तंत्र "आधार" का भरपूर लाभ उठाया है। वर्तमान में 1 अरब 13 करोड़ भारतीय नागरिकों के पास आधार कार्ड मौजूद है जिसका प्रयोग सभी सरकारी योजनाओं में होता है चाहे वह बैंक खाता खुलवाने से हो या खाते में सीधे लाभ हस्तान्तरण से। भारत को डिजिटली रूप से सशक्त बनाने तथा नॉलेज इकोनॉमी बनाने के लिए सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। सरकार ने आम नागरिकों तक पहुंच के लिए सार्वजनिक दस्तावेजों, प्रमाणपत्रों को इस प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल इंडिया के तहत एक महत्वाकांक्षी योजना डिजीलॉकर शुरू की है इस योजना के तहत परिपक्व ई-शासन के विचार को ध्यान में रखते हुए डिजिटल दस्तावेज जारी करने और इसके सत्यापन की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। अब तक लगभग 40 लाख से अधिक लोगों ने डिजीलॉकर की सेवा ली है। सरकार ने अब तक 20 लाख से अधिक ई-साईन जारी किये हैं। आने वाले समय में सरकार की शायद ही कोई योजना हो जो आधार से न जुड़ी होगी, कहना गलत न होगा। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि डिजिटली इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को डिजिटल सशक्त समाज बनाना तथा सुशासन की स्थापना करना है जिसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले ढाई-पौने साल के दौरान सरकार ने सुशासन के लिये काफी प्रयास किये हैं— फ़ैलता ब्राडबैंड नेटवर्क, मोबाइल सुविधा, चार लाख सार्वजनिक इंटरनेट प्रयोग केन्द्र, सार्वजनिक स्थानों व विश्वविद्यालयों में लगे वाई-फ़ाई हॉटस्पॉट, बढ़ते रोजगार अवसर, ई-प्रशासन और ई-सेवाओं की सभी नागरिकों तक पहुँच, स्वास्थ्य, शिक्षा और बैंकिंग सेवाओं के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी की पहुँच आदि ऐसे प्रयास हैं जिनके जरिये भारत को डिजिटल भारत बनाने और सुशासन की स्थापना करने से कोई नहीं रोक सकता।

सन्दर्भ सूची—

लोक प्रशासन— ई-गवर्नेंस, डॉ बी.एल. फडिया, डॉ कुलदीप फडिया 2007

योजना पत्रिका— फरवरी 2017

योजना पत्रिका— मई 2017

कुरुक्षेत्र पत्रिका— मई 2017

कुरुक्षेत्र पत्रिका— अगस्त 2017

